न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024/75

उनवान

पॉचूलाल आत्मज भंवरलाल आयु 75 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम तूमडा तहसील कनवास,जिला कोटा

(अपीलांट)

बनाम

रामलक्ष्मण आत्मज रामकिशन जाति मेधवाल निवासी ग्राम तूमडा,तहसील कनवास,जिला कोटा।

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री धनश्याम नागर (अपीलान्ट)
अभिभाषक श्री अश्विनी मालव (रेस्पोडेन्ट)

अपील न्यायालय तहसीलदार कनवास,जिला कोटा के आदेश दिनांक 28.3.2024 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 16/2/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याया एवं संचकामें सिद्वी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्यका अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्व आदेश दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजसीान काश्तकारी अधिनियम अपीलान्ट को बिना नोटिस व जानकारी के आदेश प्रदान किया है। अपीलान्ट को योग्य अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ, ओर न ही किसी प्रकार से अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी रही है। जबकि अपीलान्ट वर्णित खसरा नम्बर 183 के संबध मे काफी समय से न्यायालय में कार्यवाही कर आता जाता रहा है इसके बावजूद भी अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नही कर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश प्रदान किया दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ओर ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, उक्त प्रार्थना पत्र मौके की स्थिति एवं राजस्व

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

रेकार्ड के विपरीत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है । अपीलान्ट के पूर्वजो की आराजी खसरा नम्बर 95 के हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 2.15 रकबा 2.15 है0 आराजी स्थित है, उक्त आराजी के उत्तर की ओर खसरा नम्बर 134 की आराजी सिवायचक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 134 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा मे से 4 बीघा 10 बिस्वा आराजी दिनांक 22.06.1981 को व बाद में 1 बीघा 10 बिस्वा आरजी बाद में आंवटन अपीलान्ट को की गई जो इंतकाल नंम्बर 51व 62 दिनांक 13.5.82 से अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। सहवन से राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 183 रकबा 1.29 मे से 183/227 रकबा 0.9712 अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। जिसके संबध में अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलान्ट का नाम आराजी दर्ज नही करने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे प्रकरण संख्या 22/2002 पांचूलाल बनाम सरकार के नाम से प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 9.12.2011 को डिकी फरमा दिया जो जिसकी पालन मे आराजी के संबध में स्थाई निषेघाज्ञा प्रदान की गई ओर धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवही में बेदखल नही करने हेतु आदेश प्रदान किया, उक्त आदेश आज भी प्रभावी होने के बावजूद अपीलान्ट को बेदखले करने के आदेश प्रदान कर दिये जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। उक्त राजस्व रेकार्ड एवं मौका की स्थिति के लिए अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास में प्रकरण संख्या 17/19 अ0धा0 128 भू0राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा है जो जेरकार है। इस प्रकार नक्शा दुरस्ती की कार्यवाही न्यायालय में जेरकार होने के उपरान्त भी अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

अपीलान्ट द्वारा सदभाविक रूप से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नक्शा ट्रैस में की गई त्रुटि को दुरस्त करने हेतु प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर रखा है, सेटलमेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 182,183 को नक्शा ट्रैस में गलत दर्शा रखा है हाल नक्शा ट्रेस अनुसार उत्तर की पश्चिम की ओर 182 व पूर्व की ओर 183 दर्शा रखा है जबकि मौका अनुसार उत्तर की ओर 182 व पूर्व की ओर 183 दर्शा रखा है जबकि मौका अनुसार उत्तर की और 182 व पूर्व की ओर 183 दर्शा रखा है जो अपीलान्ट के पूर्वजो की आराजी ख.न. 125 से लगवा के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है और दर्शाया जाना आवश्यक् था किन्तु सेटलमेन्ट द्वारा बिना मौका स्थिति का निरीक्षण किये बिना ही त्रुटिपूर्ण नक्शा ट्रेस बना दिया और जिसके आधार पर कार्यवाही जेरकार होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30.6.2024 हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पैमाईश करने आने व बेदखल करने के आदेश के बाबत बताया अपीलान्ट द्वारा द्वारा उक्त आदेश की नकल प्राप्त होने पर उक्त अपील जानकारी की अवधि से मध्य प्रस्तुत की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास में जेरकार प्रकरण के प्रभावी रहते रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्थगित फरमाया जावे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये समन्न की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री अश्विनी मालव अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट की ओर से ज़र्ये वकील जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट क अपील झूठे तथ्यो पर आधारित होने से चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार कर दिनांक 28.3.2024 को आदेश जारी किया गया कि अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट की खाते की आराजी ग्रम तूमडा के ख.न. 182 रकबा 0.20 है0 भूमि पर से बेंदखल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि एवं भूल नही की है विधि के मान्य सिद्वान्तों के अनुसार ही आदेश जारी किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की उचित सूचना प्राप्त होने तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिये जाने के बाद भी अपीलान्ट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय की तामील का उल्लधंन करके अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अवैध होने से चलने योग्य नही है। उक्त आराजी के संबध में अपीलान्ट से परेशान होकर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कब्जे की पुष्टि पटवारी हल्का कुराड की जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.3.2023 से होती है कि अपीलान्ट ने ख.न. 182 की आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है। रेस्पोडेन्ट खाते की आराजी ग्राम तुमडा की ख.182 की 0.78 पर पूर्वजो के आवंटन के बाद से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित किया गया है कि ख.न. 183 उसके नाम दर्ज किया गया जबकि वर्तमान रेकार्ड के अनुसार ख.न. 183 सरकार के नाम सिवायचक में दज्र है। अपीलान्ट ने न्यायालय में झूठे तथ्य पेश कर अपील प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की है वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3. 2024 की पालना दिनांक 19.06.2024 के बाद की है ज़बकि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने के बाद भी कानूनी रूप से अपील को समायवधि में पेश नही किया गया है जिससे उक्त अपील लीमिटेशन से बाहर होने से खारिज योग्य है। उपखण्ड अधिकारी कनवास में जैरकार प्रकरण के प्रभावी होने के जानकारी रेस्पोडेन्ट को नही है और ना ही अपीलान्ट ने उक्त प्रकरणों में रेस्पोडेन्ट को पक्षकार बनाया है जिससे उन प्रकरणो का रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र ओर माननीय न्यायालय के आदेश से किसी प्रकार का न तो कोई संबध नही है ओर ना ही कोई विषय वस्तु है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2024 को बहाल रखे जाने तथा अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर से बेदखल किया जाकर रेस्पोडेन्ट को कब्जा संभलाया जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 11.07.2024 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी पटवार हलका से होना अंकित किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तत मेमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ोग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याया एवं संचकामें सिद्वी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्यका अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्व आदेश दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया जो र्स्वथा त्रुटि पूर्ण होने से खारिज योग्य है। इसी प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2024 को बहाल रखे जाने तथा अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर से बेदखल किया जाकर रेस्पोडेन्ट को कब्जा संभलाया जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 26.02.2024 को पत्रावली में अकित किया है कि " रिपोर्ट पटवारी अनुसार विवादित आराजी भूमि ख.न. 182 रकबा 0.78 है 0 के संबध मे उपखण्ड अधिकारी कनवास में वाद संख्या 38/21 अर्न्तगत धारा 88,89,188 रा0का0अधिनियम 1956 विचाराधीन होने से वाद का निस्तारण होने तक इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा सकती । अतः पत्रावली इस स्तर पर ड्रोप की जाती है। " अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः आदेशिका दिनांक 15.3.2024 को प्रार्थना पत्र पर पत्रावली नम्बर पर लेकर दिनांक 28.03.2024 को निर्णय पारित किया गया। पत्रावली पर अप्रार्थीगण को सूचित किये जाने बाबत कोई नोटिस संलग्न नही पाया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2024 को पत्रावली ड्रोप कर दी गई ओर फिर अप्रार्थी को सूचित किये बिना पत्रावली में पुनः निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी प्रस्तुत अपील में दौराने बहस कथन किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। न्यायालय वकील अपीलान्ट की बहस एवं दलीलो से सहमत है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार कनवास का निर्णय दिनांक 28.3.2024 अपास्त किया जाकर तहसीलदार कनवास को इस निर्देश के साथ पुनःप्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान् को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए नियमो के परिपेक्ष में पुनः निर्णय पारित जावे। पक्षकारान दिनांक 18/3/2026 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होवे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18/2/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा